

न्यायालय सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 102/2016 (2016/00439)

दायर तारीख 30/05/2016

अनवान

01. हकीम खां पिता अनार खां पठान (मुसलमान) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा।

.....वादी

बनाम

01. सिकन्दर खां पिता शेर खां मुसलमान

02. महरबान खां पिता हसन खां पठान

03. इशाक मोहम्मद पिता कमरुदीन मुसलमान

04. नानुराम पिता डालचन्द कुम्हार

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

05. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सुनिल कुमार जैन अधिवक्ता वादीगण

श्री अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 – 188 राज0 का0 अधिनियम

एवं

वादपत्र संख्या 103/2016 (2016/00437)

दायर तारीख 30/05/2016

अनवान

01. महरबान खां पिता हसन खां पठान (मुसलमान) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा।

.....वादी

बनाम

01. सिकन्दर खां पिता शेर खां मुसलमान

02. हकीम खां पिता अनार खां पठान (मुसलमान)

03. इशाक मोहम्मद पिता कमरुदीन मुसलमान

04. नानुराम पिता डालचन्द कुम्हार

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

05. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सुनिल कुमार जैन अधिवक्ता वादीगण

श्री महेश दाधीच, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 – 188 राज0 का0 अधिनियम



लगातार

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

दिनांक :- 29/11/2019


संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 22.05.2018 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा स्थित आराजी नं० 2380 रकबा 0.25 हे० भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी०डी०/177-178/263 दिनांक 22.05.2019 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम सहाड़ा स्थित आराजी नं० 2380 रकबा 0.25 हे० भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादीगण द्वारा स्वीकार है।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	महरमान खां पिता हसनखां पठान सा० देह खातेदार	सहाड़ा	2380/4	0.0140
		योग	1	0.0140
2	हकीम खां पिता अनार खां पठान सा० देह खातेदार	सहाड़ा	2380/2	0.0144
		योग	1	0.0144
3	सिकन्दर पिता शेर खां (21829 व०मी०) इशाक मोहम्मद पिता कमरुदीन (1380 व०मी०) सा देह कृष्णगोपाल पिता बसन्तीलाल पाराशर 1800/28852	सहाड़ा	2380/1	0.2019
		योग	1	0.2019


उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी/वादी इस आशय की जारी की जावे कि उक्तानुसार विभाजित आराजियात में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।


(विकास पंचोली)

सहायक कलेक्टर पट्टेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29/11/2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




सहायक कलेक्टर पट्टेन
सहायक कलेक्टर पट्टेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या:- 102/2016

अनवान

01. हकीम खां पिता अनार खां पठान (मुसलमान) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा।

.....वादी

बनाम

01. सिकन्दर खां पिता शेर खां मुसलमान

02. महरबान खां पिता हसन खां पठान

03. इशाक मोहम्मद पिता कमरुदीन मुसलमान

04. नानुराम पिता डालचन्द कुम्हार

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

05. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सुनिल कुमार जैन अधिवक्ता वादीगण

श्री अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 - 188 राज0 का0 अधिनियम

एवं

वादपत्र संख्या:- 103/2016

अनवान

01. महरबान खां पिता हसन खां पठान (मुसलमान) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा।

.....वादी

बनाम

06. सिकन्दर खां पिता शेर खां मुसलमान

07. हकीम खां पिता अनार खां पठान (मुसलमान)

08. इशाक मोहम्मद पिता कमरुदीन मुसलमान

09. नानुराम पिता डालचन्द कुम्हार

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।


10. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री सुनिल कुमार जैन अधिवक्ता वादीगण

श्री महेश दाधीच, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 - 188 राज0 का0 अधिनियम


सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

लगातार

//02//

निर्णय दिनांक : 29/11/2019

डिक्री दिनांक : 29/11/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय उपखण्ड न्यायालय गंगापुर बहाजरी अधिवक्तावादी श्री सुनील कुमार जैन, महेश दाधीच व पैरोकार सरकार हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी/वादी इस आशय की जारी की जाती है कि निम्नानुसार विभाजित आराजियात में प्रतिवादी/वादी किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	महरमान खां पिता हसनखां पठान सा0 देह खातेदार	सहाड़ा	2380/4	0.0140
		योग	1	0.0140
2	हकीम खां पिता अनार खां पठान सा0 देह खातेदार	सहाड़ा	2380/2	0.0144
		योग	1	0.0144
3	सिकन्दर पिता शेर खां (21829 व0मी0) इशाक मोहम्मद पिता कमरुदीन (1380 व0मी0) सा देह कृष्णगोपाल पिता बसंतीलाल पाराशर 1800/28852	सहाड़ा	2380/1	0.2019
		योग	1	0.2019

नीजNil.....मुबलिंग Nil
बाबत् Nilखर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nilफीस
दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil
का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29/11/2019 को जारी किया गया।



(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर प्रदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुकमनामा	-		बाबत् इजराय हुकमनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर प्रदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा